

प्रेस नोट दिनांक 28.06.2022 थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

दुष्कर्म के आरोप में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये व महिला सम्बन्धी अपराध के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैण्ट के कुशल मार्गदर्शन में शशि भूषण राय प्रभारी निरीक्षक कैण्ट पुलिस की टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-437/2022 धारा- 376/406/506 भादवी से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त विजीत सिंह पुत्र श्री उमेश सिंह निवासी नियर ए बी सी स्कूल, बसंत बिहार कालोनी रानीडिहा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर को दिनांक 27.06.2022 समय 22.20 बजे दिव्यनगर कालोनी महादेव झारखण्डी टु0नं0-01 कुडाघाट से गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी /पीडिता गर्ल्स हॉस्टल छात्रसंघ चौराहा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर मे रहती थी अक्टूबर 2021 में उसकी मुलाकात विजित सिंह पुत्र श्री उमेश सिंह निवासी नियर ए बी सी स्कूल वसंत विहार कॉलोनी रानीडीहा गोरखपुर से सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम के जरिये दोस्ती हुयी एवं जान पहचान हो गयी। चूंकि अभियुक्त विजित सिंह उपरोक्त को ट्रेडिंग की जानकारी थी तो वादिनी उपरोक्त ने ट्रेडिंग सीखने की इच्छा जाहिर की। जिस पर वो ट्रेडिंग का काम सिखाता था जिससे वादिनी का अभियुक्त के घर आना जाना हो गया। 1 जनवरी 2022 को विजीत वादिनी को अपनी बाइक से अपने घर ले गया। वहां कोल्ड ड्रिंक पीने को दी। कोल्ड ड्रिंक पीने पर वादिनी अपना होश खो बैठी। इसी अवस्था में अभियुक्त विजीत उपरोक्त ने वादिनी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किये। अभियुक्त विजीत ने शादी करने के नाम पर वादिनी/पीडिता के साथ कई बार संबंध स्थापित किया एवं वादिनी के कई हजार रुपये ले लिए। विगत कुछ दिनों से शादी की बात करने पर विजीत सिंह ने वादिनी का नंबर ब्लॉक कर दिया। वादिनी के द्वारा विजीत के घर वालों से बात करने पर अभियुक्त विजीत वादिनी/पीडिता को जान से मारने की धमकी एवं फर्जी केस में फ़साने की धमकी देता था। अभियुक्त विजीत उपरोक्त द्वारा पीडिता का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी जा रही थी जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर वादिनी/पीडिता के प्रार्थना पत्र पर मु0अ0सं0 437/22 धारा 376 /406 /506 भादवी पंजीकृत किया गया। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त विजीत सिंह पुत्र उमेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

गिरफ्तारी अभियुक्त का नाम व पता -

विजीत सिंह पुत्र श्री उमेश सिंह निवासी नियर ए बी सी स्कूल, बसंत बिहार कालोनी रानीडिहा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 437/22 धारा 376/406/506 भादवी थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी का स्थान /समय -

दिव्यनगर कालोनी महादेव झारखण्डी टु0नं0-01 कुडाघाट / दिनांक- 27.06.2022 समय- 22.20 बजे

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री शशि भूषण राय थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अखिलेश कुमार थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
3. कां0 ओम प्रकाश शर्मा थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर
4. कां0 जय प्रकाश यादव थाना कैण्ट जनपद गोरखपुर